

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी हमीरपुर, वन प्रभाग हमीरपुर।

पत्रांक- 42 / 33-1 / हमीरपुर, दिनांक- 31 अक्टूबर 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

हमीरपुर, वन प्रभाग हमीरपुर।

विषय:-जनपद-हमीरपुर में हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु जिला- हमीरपुर में प्रभावित 0.8186 हे० संरक्षित वन भूमि तथा बाधक 581 वृक्षों/पौधों के पातन एवं 1.67 हे० आरक्षित वन भूमि तथा बाधक 1893 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल 2.4886 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2474 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपका कार्या० पत्रांक-859 / 33-1 / दिनांक-13.10.2022

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा आपत्तियाँ लगायी गयी है, आपत्तियों के निराकरण हेतु आप द्वारा माँगी गई निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या इस प्रकार है।

1. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि पूर्व में वन भूमि के रूप में अधिसूचित नहीं है। पारा वन ब्लॉक से सटी हुई है।
2. प्रभावित होने वाली आरक्षित वन भूमि को बचाते हुये पाइप लाइन नहीं बिछायी जा सकती है।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य के आगणन के लिए प्रभावित होने वाली वन भूमि की वन श्रेणी तृतीय है तथा घनत्व-0.1 है।

अतः आख्या रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हमीरपुर रेन्ज।



अधिशायी अभियंता, खण्ड कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) महोबा-210427



email id :

eecivilmahoba_upjn@yahoo.com
eecdjnmh-up@nic.in



Contact No. (E.E.) : +91-9473942756
Phone/Fax No. : 05281-244558

पत्रांक: 1177 / W-37 / 126

दिनांक: 01-11-2022

क्षेत्रीय वनाधिकारी हमीरपुर के साथ प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में पाया गया कि प्रभावित आरक्षित वन भूमि के एवज में दी गयी गैर वनभूमि पारा वनक्षेत्र से सटी हुई है।

(संदेश सिंह तोगस)
अधिशायी अभियंता
Executive Engineer
Division Office
U.P. Jal Nigam (Rural)
Mahoba



अधिशायी अभियंता, खण्ड कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) महोबा-210427



email id :

eecivilmahoba_upjn@yahoo.com
eecdjnmh-up@nic.in



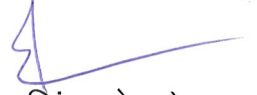
Contact No. (E.E.) : +91-9473942756
Phone/Fax No. : 05281-244558

पत्रांक: 1176 / W-37 / 125

दिनांक: 01-11-2022

प्रमाण पत्र

पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु आरक्षित वन भूमि को प्रभावित किये बिना कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है तथा पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु तैयार किया गया संरेखण न्यूनतम प्रभावित आरक्षित वन भूमि हेतु है ।


(संदेश सिंह तोमर)
अधिशायी अभियंता

**Executive Engineer
Division Office
U.P. Jal Nigam (Rural)
Mahoba**



अधिशायी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण), महोबा-210427

email id :

eeccivilmahoba_upjn@yahoo.com
eeccivilmahoba.upjn.rural@gmail.com



Contact No. (E.E.) : +91-9473942756

Phone/Fax No. : 05281-244558

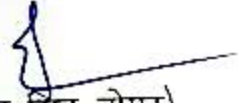
पत्रांक

1111 / W-37 / 120

दिनांक :- 10-10-2022

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत जो पाइप लाइन वन क्षेत्र में बिछायी जानी प्रस्तावित है उसका कोई कोई और वैकल्पिक रास्ता नहीं है।


(संदेश सिंह तोमर)
अधिशायी अभियन्ता
E.E.
Ex. S.S. Tomar
Executive Engineer
Const. Div.(Civil)
U.P.Jal Nigam(Rural), Mahoba